

राजस्थान सरकार
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 20(1)साप्र/2/14

जयपुर, दिनांक 4 JUL 2014

— आदेश :—

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी में 'एफ'-टाईप श्रेणी (स्वतंत्र) की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के समुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार नियमानुसार किराये पर निम्न शर्तों के आधार पर एतद्वारा आवंटित/परिवर्तित किये जाते हैं :—

क्र.सं	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृति तिथि	वरियता संख्या
1.	श्रीमती सरोज कुमारी, कनिष्ठ लिपिक प्रभारी चिकित्सा अधिकारी कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 5, बापू नगर, जयपुर	एफ-44, गांधीनगर (4/81, गांधीनगर के स्थान पर)	31.7.2031	306
2	श्री विवेकानन्द बैरवा, वरिष्ठ लिपिक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	एफ-45, गांधीनगर (4/49, गांधीनगर के स्थान पर)	31.7.2024	307
3	श्री मोहन सिंह भीणा नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-67, गांधीनगर (4/108, गांधीनगर के स्थान पर)	31.10.2028	309
4	श्री राजकुमार मंगल संगणक निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर	एफ-183, गांधीनगर (4/58, गांधीनगर के स्थान पर)	30.6.2030	310
5	श्री लक्ष्मीनारायण भीणा वाहन चालक नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैराज, जयपुर	एफ-187, गांधीनगर (4/39, गांधीनगर के स्थान पर)	31.8.2027	311
6	श्री राकेश कुमार भीणा सहायक अनुभागाधिकारी गृह (ग्रुप-11) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-198, गांधीनगर (4/84, गांधीनगर के स्थान पर)	31.3.2041	312
7	श्री राकेश कुमार नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-472, गांधीनगर (4/85, गांधीनगर के स्थान पर)	31.3.2036	314
8	श्रीमती रीना जोर्ज, नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	एफ-402, गांधीनगर (4/76, गांधीनगर के स्थान पर)	30.9.2036	316
9.	श्री लौकेश जैन सहायक अनुभागाधिकारी कार्यालय प्रेस सलाहकार गुरुमंत्री कार्यालय, जयपुर	एफ-403, गांधीनगर (4/64, गांधीनगर के स्थान पर)	30.11.2028	317
10	श्री बुद्धिप्रब्रण व्यास वरिष्ठ लिपिक चिकित्सा एवं रवास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	एफ-445, गांधीनगर (एफ-990, गांधीनगर के स्थान पर)	31.3.2029	318
11	श्री यतेन्द्र खण्डेलवाल कनिष्ठ लिपेक अपर सिविल जज (क.ख.) एवं महानगर बजिस्ट्रेट, क्रम-4, जयपुर महानगर, जयपुर।	एफ-467, गांधीनगर (4/105, गांधीनगर के स्थान पर)	31.1.2033	319

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने /क्य करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावें।
7. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
 1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
 2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्य नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल महोदया की आज्ञा से,

(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :—

1. संभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर।
4. आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. नियन्त्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर।
6. निदेशक, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, जयपुर।
7. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
8. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
9. प्रभारी चिकित्सा अधिकारी, कर्मचारी राज्य बीमा औषधालय नं. 5, बापू नगर, जयपुर।
10. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
11. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर शहर, जयपुर।
13. कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
14. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय— कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावें।
15. अधिशाषी अभियन्ता, साठे निर्माण विभाग—खण्ड-तृतीय/जन स्वास्थ्य अभियान/जयपुर विद्युत वितरण निगम लियो गौंधीनगर, जयपुर।
16. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग धौकी गौंधीनगर, जयपुर।
17. सम्बन्धित कर्मचारीगण को भेजकर लेख है कि नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर कब्जा सार्वजनिक निर्माण विभाग को सुपुर्द करवाते हुए इस विभाग को सूचित करवावें।
18. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
19. रक्षित पत्रावली।

मुन्नालाल शर्मा २०२१।
सहायक शासन सचिव